पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 28.09.2020

1-थाना सेक्टर 49 पुलिस व स्टार -2 टीम द्वारा अपहरित सकुशल बरामद, कब्जे से अपहरित व उनकी होन्डा सिटी कार तथा घटना में शामिल मोबाइल फोन बरामद, घटना के सफल अनावरण व अपहरित की सकुशल बरामदगी करने पर अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की पुलिस टीम को 05 लाख रूपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई :

दिनांक 27.09.2020 को श्रीमती सुषमा वर्मा निवासी सेक्टर 77 नोएडा थाना सेक्टर 49 नोएडा ने सूचना दी कि मेरे पति दिनांक 26.06.2020 को सांय 05.30 से 06.00 बजे के बीच घर का सामान लेने के लिए अपनी होन्डा सिटी कार यूपी 14 बीएस 5235 से सिटी सेन्टर नोएडा गये थे, वापस नही लौटे व दिनांक 26.09.2020 को रात 23.00 बजे वादिया के पति के मोबाइल से वादिया श्रीमती सुषमा वर्मा के मोबाइल नम्बर पर काल करके उसके पति ने बताया कि मुझे कुछ अज्ञात लोगो द्वारा पकड कर एक कमरे में बंद कर रखा है और पैसे मांग रहे है। वादिया को एक अन्य से फोन आया जिसमें पुरूष व महिला दोनो की आवाज आ रही थी तथा वह वादिया के पति को छोडने के एवज में 10 लाख रूपये की फिरौती की मांग कर रहे थे तथा पुलिस में सूचना देने पर वादिया के पति को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। वादिया द्वारा अपने पति को छुडाने के लिए 10 लाख रूपये का इन्तजाम करने का प्रयास किया गया, इन्तजाम न होने पर उसके द्वारा थाना सेक्टर 49 नोएडा पर इस घटना की लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 802/2020 धारा 364ए भादवि0 पंजीकृत कराया गया।

घटना की सूचना मिलते ही श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त महोदय श्री लव कुमार द्वारा उक्त घटना के अनावरण व अपहृत की बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त महोदय नोएडा श्री राजेश एस, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रणविजय सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त श्री विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में 03 टीमो का गठन किया गया। जिसमें नोएडा जोन सर्विलांस

टीम, स्टार 02 टीम तथा थाना सेक्टर 49 नोएडा की टीम सम्मिलित थीं।सर्विलांस टीम की सहायता से लोकेशन प्राप्त की तो उक्त लोकेशन पर पहुँचने पर हौंडा सिटी गाड़ी में तीन लोग मौजूद थे तथा कही भागने की फिराक में थे। पुलिस टीम द्वारा उक्त कार में सवार चालक सीट पर बैठे व्यक्ति दीपक पुत्र राजेश नि0 गांव चेहडका थाना बहल जिला भिवाडी हरियाणा वर्तमान पता आई 64 ओयो होटल सै0 41 नोएडा को पकड लिया गया तथा पिछली सीट पर बैठे दो व्यक्ति खिडकी खोलकर कूद कर भाग निकले जिनका पीछा पुलिस कर्मियो द्वारा किया गया, लेकिन दोनो अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। पकडे गये दीपक ने पूछताछ पर अपहरण की घटना में खुद को शामिल होना बताया तथा उसकी निशांदेही पर उक्त ओयो होटल के कमरा नं0 203 में दबिश दी गयी तो कमरे से अभियुक्तगण (1) सुनीता गुर्जर पत्नी देवेन्द्र गुर्जर निवासी गांव आगाहपुर सैक्टर 41 थाना सै0 39 नोएडा, (2) राकेश उर्फ रिंकू फौजी पुत्र दिनेश कुमार निवासी गांव चेहडका थाना बहल जिला भिवाडी हरियाणा के कब्जे से अपहरित को बरामद किया गया। अभियुक्तो ने अपहरित को उक्त कमरे में बंधक बनाया हुआ था। पूछताछ पर तीनो अभियुक्तो ने बताया कि उनके व उनके साथियो अनिल कुमार शर्मा व आदित्य कुमार के द्वारा ही अपहरित को हनी ट्रैप में फंसाकर, अगवा कर इस होटल के कमरा नं0 203 में बंधक बनाकर गया था तथा अपहरित की पत्नी से काल करके 10 लाख रूपये की फिरौती की मांग व रूपये न देने की स्थिति में अपहरित को जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। फरार अभियुक्त (1) अनिल कुमार शर्मा पुत्र रामजी लाल (2) आदित्य कुमार पुत्र मुलेश सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

घटना के सफल अनावरण व अपहरित की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तो की गिरफ्तारी पर श्रीमान अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर की पुलिस टीम को 05 लाख रूपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1 दीपक पुत्र राजेश निवासी गांव चेहडका थाना बहल जिला भिवाडी हरियाणा वर्तमान पता आई 64 ओयो होटल सेक्टर 41 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

2. सुनीता गुर्जर पत्नी देवेन्द्र गुर्जर निवासी गांव अगाहपुर सेक्टर 41 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3. राकेश उर्फ रिंकू फोजी पुत्र दिनेश कुमार निवासी गांव चेहडका थाना बहल जिला भिवाडी हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 802/2020 धारा 364ए भादवि0 थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुनगर।

बरामदगी का विवरण-

अपहरित व उनकी होन्डा सिटी कार तथा घटना में शामिल मोबाइल फोन

2- थाना जेवर पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 05 व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से ताश के 52 पत्ते व 10100 रूपये नकद बरामद।

दिनाकॅ 28.09.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्त 01.अकबर पुत्र मुँशी निवासी मौ0 काजीवाडा थाना टप्पल जिला अलीगढ 02. जान मौहम्मद पुत्र कय्यूम निवासी मौ0 रावलपट्टी थाना जेवर गौतमबुद्ध नगर 03. फरमान पुत्र जाहिद निवासी मौ0 रावलपट्टी थाना जेवर गौतमबुद्ध नगर 04. मोसीन पुत्र खिजर निवासी मौ0 बन्देलखण्ड थाना जेवर गौतमबुद्ध नगर 05. नजरू पुत्र आस मौ0 निवासी मानकचैक थाना जेवर गौतमबुद्ध नगर को बगीची कस्बा जेवर से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जुए में प्रयुक्त ताश के 52 पत्ते व 10100 रूपये बरामद किये गये है।

अभियुक्तगणो का विवरणः

1. अकबर पुत्र मुँशी निवासी मौ0 काजीवाडा थाना टप्पल जिला अलीगढ ।

2. जान मौहम्मद पुत्र कय्यूम निवासी मौ0 रावलपट्टी थाना जेवर गौतमबुद्धनगर ।

3. फरमान पुत्र जाहिद निवासी मौ0 रावलपट्टी थाना जेवर गौतमबुद्धनगर ।

4. मोसीन पुत्र खिजर निवासी मौ0 बन्देलखण्ड थाना जेवर गौतमबुद्धनगर ।

5. नजरू पुत्र आस मौ0 निवासी मानकचैक थाना जेवर गौतमबुद्धनगर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु.अ.सं. 449/2020 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरणः

1. जुआ में प्रयुक्त 52 ताश के पत्ते व 10,100-रुपये नगद ।

3- थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा पोस्को एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनाकॅ 28.09.2020 थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा मु0अ0स0 333/2020 धारा 354,376,511,506 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट मे वांछित चल रहा 01 अभियुक्त शाहदत पुत्र नसीबुद्धीन को परी चौक, थाना नॉलेज पार्क से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

शाहदत पुत्र नसीबुद्धीन नि0 सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद वर्तमान पता ग्राम तुगलपुर मण्डी बिस्मिल्ला ढाबा थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

मु0अ0स0 333/2020 धारा 354,376,511,506 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

4- थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा भूमि विवाद पर झगडा करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तारः

दिनांक 28.09.2020 को वादी विकास मण्डल पुत्र अनादी मण्डल निवासी आई 14, 1268 संगम विहार थाना संगम विहार नई दिल्ली के द्वारा अपने साथियों सहित थाना आकर सूचना दी गयी उनके द्वारा प्रोपर्टी डीलर जगदीश यादव व उसके साथियो से डूब क्षेत्र में जमीन खरीदकर नीं वभरवायी गयी है व चार दीवारी करायी गयी है।

आज प्रातः 09.00 बजे उन लोगो के प्लाटों पर हुये निर्माण नीं व् चाहरदीवारी आदि को जे0सी0बी0 मशीन लेकर हथियार बन्द होकर आये अभियुक्तो 1.मौहम्मद सफी उर्फ पप्पू, 2.रफीक, 3.फकरूद्धीन, 4.तौफिक, 5.फइमूद्धीन पुत्रगण कमलूद्धीन, 6.रहीसुद्धीन पुत्र रहमूद्धीन, 7.जफरूद्धीन पुत्र मौहम्मद

सफी उर्फ पप्पू, 8.अरबाज पुत्र रहीमूद्धीन 9.मौमीन अली निवासी अलीवर्दीपुर थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर 10. मौनिस अली पुत्र दमुल्ला आसामी, 11. मौहम्मद सुरमान अली पुत्र मौहम्मद सहामत अली असामी निवासी भरलकुण्डी थाना जुबीघोपा जिला बौंगईगांव आसाम वर्तमान पता लाला के खेत झुग्गी ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर, 12.मौहनीश अली उर्फ महेश पुत्र दमुल्ला हुयन निवासी भरलकुण्डी थाना जुबीघोपा जिला बौंगईगांव आसाम, वर्तमान पता लाला के खेत की झुग्गियां, ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर के द्वारा गिरा दिया गया। विरोध पर उन्हें गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

विवाद के दौरान ही प्रोपर्टी डीलर पक्ष 01.जगदीश यादव पुत्र धर्म सिंह 02.विजय सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम सर्फाबाद थाना सैक्टर 49 नोएडा 3.अशोक यादव पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर 4.सोनू यादव पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी सरायदुल्लाह थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर व 5-7 आदमी अन्य द्वारा एक राय होकर लाठी, डन्डे व तमंचे से लैस होकर आ गये।

दोनो पक्षो में अपने वर्चस्व कायम करने के लिए मारपीट गाली गलौंच हुई व अपने वर्चस्व कायम करने के लिए हवाई फायरिंग की गयी।

वादी की सूचना पर थाना इकोटेक-3 पर मु0अ0स0 442/20 धारा 147/148/149/327/352/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्तों में से दोनो पक्षो के 06 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0स0 442/20 धारा 147/148/149/327/352/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट

अभियुक्तो का विवरणः

1. विजय सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम सर्फाबाद थाना सैक्टर 49 नोएडा

2. सोनू यादव पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी सरायदुलाह थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर

3. अरबाज पुत्र रहीमूद्धीननिवासी मौहल्ला मेवाती दादरी

4. मौहम्मद सफी उर्फ पप्पू निवासी ग्राम हल्दौनी थाना इकोटैक 3 गौतमबुद्धनगर

5. मौहम्मद सुरमान अली पुत्र मौहम्मद सहामत अली असामी निवासी भरलकुण्डी थाना जुबीघोपा जिला बौंगईगांव आसाम वर्तमान पता लाला के खेत झुग्गी ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

6. मौहनीश अली उर्फ महेश पुत्र दमुल्ला हुयन निवासी भरलकुण्डी थाना जुबीघोपा जिला बौंगईगांव आसाम, वर्तमान पता लाला के खेत की झुग्गियां, ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

5- थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मो0सा0 व अवैध चाकू बरामद :

दिनांक 28/09/2020 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नकुल शर्मा को मय एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल व 01 अवैध छुरे के साथ सेक्टर 57 चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त नकुल शर्मा पुत्र श्री बब्बन शर्मा मूल निवासी ग्राम दलकी थाना बैरिया जनपद बलिया वर्तमान निवासी सत्तू का मकान सेक्टर 22 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 565/2020 धारा 482 भादवि

2.मु0अ0स0 566/2020 धारा 4/25 A.ACT

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोटरसाइकिल सीटी 100 फर्जी नंबर प्लेट लगी

2. एक छुरा

6- थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमे का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :

आज दिनांक 28.09.2020 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 1384 /19 धारा 420/467/468/471/406 भादवि का 01 वांछित अभियुक्त बग्गा सिंह पुत्र श्री भगत सिंह निवासी मदाना महाराणा थाना मॉडल टाउन जिला पानीपत हरियाणा को अट्टा पीर चौराहा सेक्टर 19 से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. बग्गा सिंह पुत्र श्री भगत सिंह निवासी मदाना महाराणा थाना मॉडल टाउन जिला पानीपत हरियाणा

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0सं0 1384/19 धारा 420/467/468/471/406 भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

7- थाना नॉलेज पार्क पुलिस और बदमाशो के बीच मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी 01 बदमाश घायल/गिरफ्तार कब्जे से लूट के 02 मोबाइल, 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व चोरी की मो0सा0 अपाचे बरामद :

दिनांक 28.09.2020 को थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में एलजी चौक और शारदा गोल चक्कर के बीच पुलिस मुठभेड़ मे एक बदमाश घायल/गिरफ्तार, 01 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। घायल बदमाश का नाम सलमान उर्फ नोनू पुत्र अब्दुल वासे उर्फ वासिद निवासी आसिफ कबाडी की दुकान नट मढैया थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम अगराई सराय ऊपरकोट थाना कोतवाली बुलंदशहर है। घायल बदमाश थाना नालेज पार्क से 25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त है। अभियुक्त के कब्जे से लूट के 02 मोबाइल, 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व चोरी की मो0सा0 अपाचे बरामद।घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

अभियुक्त का विवरण-

सलमान उर्फ नोनू पुत्र अब्दुल वासे उर्फ वासिद निवासीआसिफ कबाडी की दुकान नट मढैया थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर, स्थाई पता ग्राम अगराई सराय ऊपरकोट थाना कोतवाली बुलंदशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0स0 503/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0स0 573/19 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0स0 585/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0स0 653/19 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0स0 690/19 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0स0 723/19 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0स0 724/19 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0स0 747/19 धारा 411/414 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0स0 1174/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0स0 301/2020 धारा 307/411/414 भादवि थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. लूट के 02 मोबाइल
2. 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस
3. चोरी की मो0सा0 अपाचे

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 28.09.2020 को पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के मार्गदर्शन में चलाये गये नो चाइल्ड लेबर अभियान के अंतर्गत पुलिस, श्रम विभाग व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा होटल/दुकान/ ढाबा/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टेंड आदि जगहों पर कार्य कर रहे 07 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया एवं होटल/दुकान स्वामियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।